

FORM NO.111





फर्दे अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

समस्तवरूप वगैरे बनाम महावीर प्रसाद वगैरे

किस्म मुकदमा - इजराय

मुकदमा नम्बर: 58/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये
14.11.2023	<p>वकील डिक्रीदार श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2023 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 30.11.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  दिलिप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला-नीमकाथाना </p>	
29.04.2024	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में जारी निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 784 दिनांक 08.12.2023 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फौसल की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) </p>	<p>ऑन लाइन पालना क्रिया गया। आदेश की पालना नं.सं. 784 दि. 8.12.2023 द्वारा की गयी।</p> <p style="text-align: center;">  अनिल कुमार 92A </p> <div style="text-align: right;">  </div>